

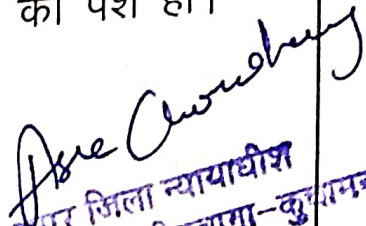
न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना-कुचामन

बउनवान:-अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य

किस्म:- दीवानी मूल प्रकरण संख्या:-120/12 क.नं.-111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-12-25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.11.2025 को आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में वहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण के ऋजु निस्तारण के लिए कार्यालय नगर परिषद मकराना से राशन कार्ड संख्या 391, वार्ड नंबर 16 मकराना की राशन कार्ड आवंटन से वर्तमान स्थिति तक की समस्त पत्रावलियां तलब कर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उक्त पत्रावलियां प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पॉवर पजेशन में है जो प्रकरण के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वादी का वर्तमान राशन कार्ड व पुराना राशन कार्ड दिनांक 23.12.2010 को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावें तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के जल कनेक्शन क्रमांक 10386 उपभोक्ता अब्दुल करीम पुत्र जमालुदीन गैसावत निवासी पीर की दरगाह गली नंबर 02 मकराना की समस्त पत्रावली तलब की जाकर रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रतिवादी नगर परिषद ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित राशन कार्ड से संबंधित पत्रावली नगर परिषद कार्यालय मकराना में नियमानुसार सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र द्वारा	

(Signature)
अपर जिला न्यायाधीश
जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	के तहत प्राप्त किए जा सकते है जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास ही नहीं किए अतः उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितयो को देखते हुए प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को तलब नहीं किया जा सकता है अतः प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी, तथ्य व परिरिस्थितियो को देखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी दिनांक 28/11/2022 को पेश हो।  अपर जिला न्यायाधीश जिला छिडवागा-कुमानब	